राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

स्टाम्प वेण्डर का अनुज्ञा-पत्र लेने हेतु राजस्थान स्टाम्प नियम 24 के अनुसार प्रार्थी को निम्न शर्ते पूरी करनी होगी :-

1. प्रार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
2. प्रार्थी सैकण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होगा।
3. प्रार्थी का चरित्र उत्तम होगा।

प्रार्थना-पत्र सादे कागज पर टंकित करवाकर मय आयु, शैक्षणिक योग्यता व चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्रों के सम्बन्धित उप महानिरीक्षक कार्यालयो एवम् जयपुर (शहर) के लिये भी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत-जयपुर-प्रथम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं, अथवा डाक से भिजवाए जा सकते है।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को इन कार्यालयों में विभाग के आदेश पत्र क्रमांक एफ.4(300)(9)स्टा/वैण्डर/10/2595-2606 दिनांक 14.07.10 से प्रावधित रजिस्टर में अंकन किया जायेगा।

प्रार्थना-पत्र यथाविधि पूर्ण होने की तिथि से उसकी वरियता मानी जायेगी व वरियतानुसार व स्थान रिक्तता के अनुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किए जायेंगे। जो प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होंगे, उन्हें रजिस्टर में दर्ज अवश्य किया जायेगा किन्तु उनकी वरियता की गणना उन प्रार्थना-पत्रों के पूर्ण होने की दिनांक से ही की जायेगी। अपूर्ण प्रार्थना-पत्रों की कमी पूर्ति हेतु उप महानिरीक्षक/कार्यालयो से संबंधित प्रार्थियो को पत्र से सूचित किया जायेगा।

ई-मित्र/सीएससी कियोस्क धारक सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (VLEs) को नियमानुसार सभी पात्रता पूरी करने पर मुद्रांक विक्रेता का अनुज्ञा-पत्र भी जारी किये जा रहे है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 23 के तहत् देय कमीशन

अधिसूचना क्रमांकः एफ.4(4)वित्त/कर/2015-233 दिनांक 9.3.2015 के तहत् स्टाम्प वेण्डर द्वारा एवं लिखित के लिये अधिकतम 1.00 लाख रूपये के स्टाम्प विक्रय किये जाने की सीमा को घटाकर 50,000/- किया गया है। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है।

29 बट्टा :- प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता या पदेन विक्रेता को जो नकद धन के संदाय पर सरकार से न्यायिक या न्यायिकेत्तर स्टाम्प क्रय करता है, निम्नलिखित बट्टा अनुज्ञात किया जायेगा।

आपत्ति :-

क्र.सं.	स्टाम्प अंकित मूल्य		बट्टा
1-	1 से 400 रूपये	-	2 प्रतिशत
2-	401 से अधिक रूपये	-	1 प्रतिशत